

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही भंग इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इ  
हुकम की तामा  
में जारी हुए

12-4-22

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / उपस्थित है।  
अतः पत्रावली दिनांक 14.6.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14<sup>6</sup>/<sub>22</sub>

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / उपस्थित है।  
अतः पत्रावली दिनांक 16.8.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

16.8.22

पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण अनुपस्थित।  
वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता को छिन्नी वाद  
कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी  
उपस्थित नहीं। वकील वादीगण के अनुपस्थित रहने  
से वादीगण का वाद पत्र अदम दायरी / अदम पैरवी  
में स्वारीज किया जाता है। पत्रावली फैलल शुमार  
होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख  
हुसम

हुसम या कार्यवाही मऊ इतिहासगत जज

14-6-22

उभय पक्ष उपस्थित की परीन अधिकारी सतवीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पबरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 15.7.22 को पेश हो।

रीउर

उपखण्ड अधिकारी माण्डस

15-7-22

उभय पक्ष उपस्थित की परीन अधिकारी सतवीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पबरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 15.8.22 को पेश हो।

रीउर

उपखण्ड अधिकारी माण्डस

12-8-22

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य रखा / पबरिक्त रखने  
से पत्रावली दिनांक 16.8.22 को पेश हो।

16-8-22

पत्रावली पेश हुई, वकील वार्दी अनुपस्थित, वार्दी एवं  
वार्दी के अधिवक्ता को रुक-रुक कर तीन बार आवाजे  
दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, वकील वार्दी  
के अनुपस्थित रहने से वार्दी का वाद पत्र अदम घण्टी/  
अदम घण्टी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडस जिला मीलवाड़ा

82 पञ्जावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित,  
वकील प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया  
जिसे शामिल पञ्जावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना  
पत्र में विवेकन किया कि उक्त धाराजियात का वाद  
पत्र मिट्स एण्ड वाइण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाने


तारीख  
हुक्मा

हुक्मा या कार्यवाही पर इतिहासिक सारा

नम्बर  
अहम  
हुक्मा  
में

हेतु पेश किया गया है जिसमें विपक्षीगण द्वारा विभाजन करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, वाद पत्र में प्रारम्भिक डिडी जारी की जा चुकी है, इसिलिए उक्त आराधियात पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा पत्रित स्थगन आदेश को इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं मूल वाद पत्र में प्रारम्भिक डिडी जारी की जा चुकी है, वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण में जारी दिनांक 16.11.21 को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

12/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सखकीम  
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है  
अतः पत्रावली दिनांक 14-6-22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राज प्रिय  
कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है  
अतः पत्रावली दिनांक 16-8-22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8.22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथमिक अनुपस्थित।  
प्राथमिक एवं प्राथमिक के अधिकार को कितनी  
बार क्रम-क्रम कर आवाजे दिलायी जाने के

गुजरात का कार्यवाही मध्य इतिहासक जज

नम्बर  
अहम  
हुक्म  
में

वाद भी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थना के अंतर्गत  
रहने से प्रार्थना का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी /  
अदम पैरवी में शरीर किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न  
है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मंडल जिला भीलवाड़ा